रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 561] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2009/आश्विन 8, 1931

No. 561] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2009/ASVINA 8, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 711(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये नियम, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2003 में नियम 4 के उप-नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

'(7) कोई व्यक्ति, सदस्य (परियोजना) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह-

(i) सिविल इंजीनियरी में डिग्री रखता हो; और

(ii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन स्थापित किसी स्वायत्त निकाय में नियोजित हो; और

(iii) समरूप पद पर हो अथवा 15600-39100 रु0 के वेतनमान +7600 रु0 तक अथवा उच्चतर श्रेणी वेतन में, पे बैंड 3 में कम से कम 25 वर्ष की सम्मिलित सेवा की हो, किंतु 37400-67000 रु0 के वेतनमान +10,000 रु0 के श्रेणी वेतन में तीन वर्ष की सुनिश्चित सेवा भी की हो; और

(iv) परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित राजमार्ग इंजीनियरी के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव रखता हो ।'

[फा. सं. ए-12025/6/2008-ई-II बी]

प्रदीप कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, सा.का.नि. 507(अ), तारीख 23 जून, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 631(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2006 और सं. सा.का.नि. 549(अ), तारीख 24 जुलाई, 2009 के द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2009

G.S.R. 711 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 34 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of Service of Members) Rules, 2003, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of Service of Members) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of Service of Members) Rules, 2003 in rule 4, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(7) A person shall not be qualified for appointment as a Member (Project) unless he, –

(i) has degree in Civil Engineering; and

(ii) is employed in the Central Government or a State Government or Public Sector Undertaking or an autonomous body established under law for the time being in force; and

(iii) has held an analogous post; or has at least 25 years combined service in the Pay Band 3, pay scale of Rs. 15600-39100 + Grade Pay of upto Rs.7600 or higher, but must have three years service in the pay scale of Rs. 37400-67000 + Grade Pay of Rs.10000; and

(iv) has 15 years experience in the field of Highway Engineering related to implementation of projects.".

[F. No. A-12025/6/2008-E-II-B]

PRADIP KUMAR TRIPATHI, Jt. Secy.

Foot Note : The principal rules were published *vide* number G.S.R 507(E), dated the 23rd June, 2003 and subsequently amended *vide* number G.S.R 631(E), dated the 12th October, 2006 and No. G.S.R 549(E), dated the 24th July, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.